न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/979/2004/बाड़मेर</u>

1– भूरसिंह पुत्र लिछमणसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– किरतसिंह पुत्र भूरसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

1/1/1– भोपालसिंह पुत्र किरतसिंह

1/1/2– हेमन्तसिंह पुत्र किरतसिंह

1/1/3– सुरेन्द्रसिंह पुत्र किरतसिंह

1/1/4– भंवरकंवर पुत्री किरतसिंह

1/1/5– श्रीमती राजकंवर पत्नी किरतसिंह

2– खीमसिंह पुत्र जालमसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– चैनसिंह पुत्र खीमसिंह

2/2– हेमसिंह पुत्र खीमसिंह

2/3– भगसिंह पुत्र खीमसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

2/3/1– विक्रमसिंह पुत्र भगसिंह

2/3/2– जितेन्द्र सिंह पुत्र भगसिंह

2/3/3– कल्याणसिंह पुत्र भगसिंह

2/4– कंवरराजसिंह पुत्र खीमसिंह

3– श्रीमती लहरकंवर पत्नी जालमसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

3/1– जीवराजसिंह पुत्र जालमसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

3/1/1– तेजसिंह पुत्र जीवराजसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

3/1/1/1– पृथ्वीसिंह पुत्र तेजसिंह

3/1/1/2– चन्दनसिंह पुत्र तेजसिंह

3/1/1/3– प्रभातकंवर पत्नी तेजसिंह

3/2– मदनसिंह पुत्र जीवराजसिंह

3/3– श्रीमती बसन्तकंवर पत्नी जीवराजसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

–अपीलांटस

बनाम

1– पदमा पुत्र जुजा मृतक जरिये वारिसानः–

1/1– शंकरा पुत्र पदमा

1/2— हरू पुत्र पदमा

2— जलाल पुत्र जुजा मृतक जरिये वारिसानः—

2/1— खिवरा पुत्र जलाल

2/2— विरा पुत्र जलाल

2/3— जूणा पुत्र जलाल

3— केसरा पुत्र जुजा मृतक जरिये वारिसानः—

3/1— मालणा पुत्र केसरा

3/2— पारू पुत्र केसरा

3/3— भीमा पुत्र केसरा

3/4— अजबा पुत्र केसरा

3/5— भूरा पुत्र केसरा

3/6— मानू पत्नी केसरा (नाम तर्क)

4— प्रभू पुत्र जूंजा

समस्त जाति भील निवासी ग्राम शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री योगेन्द्र सिंह एवं श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस।

निर्णय

दिनांकः— 19.03.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 13/2003 बउनवानी पदमा बनाम भूरसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस पदमा वगैरहा ने एक दावा अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955, वास्ते घोषणा का सहायक कलेक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 839 रकबा 108 बीघा 17 बिस्वा मौजा शिवकर तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर में स्थित भूमि पर वादीगण का कब्जा कदीम से चला आ रहा है, परन्तु हाल सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादीगण की मिलीभगत से विवादित भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया है। अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में कुल 4 तनकीयात कायम की । तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 15.10.1968 को पारित कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेंटस ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 03.02.2004 के द्वारा स्वीकार की जाकर वादीगण/रेस्पो0 को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया गया। अपीलीय न्यायालय के उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2004 से व्यथित होकर अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण का वाद प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह था कि वे कदीम से विवादित भूमि पर काश्त करते आ रहे है इसलिये वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से काश्तकार होने के कारण विवादित भूमि के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है, परन्तु वादीगण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रमाणित नहीं कर पाये है कि संवत् 2012 अर्थात् दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से वह विवादित भूमि के काश्तकार थे । सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित था कि वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर संवत् 2013 तक नहीं था एवं संवत् 2013 के पश्चात् ही वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर पाया गया है । इसी कारण विद्वान सहायक जिलाधीश, बाड़मेर ने वादीगण का वाद सही रूप से

खारिज किया था, परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने कयासों के आधार पर वाद डिक्री किया है जो काबिल निरस्तनीय है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड की तुलना में मौखिक साक्ष्यों को महत्व देते हुए वादीगण/रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2004 को निरस्त किया जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि रेस्पो0/वादीगण का विवादित आराजी पर पीढ़ियों से कब्जा काश्त है और वे विवादित आराजी के प्रारंभ से ही खातेदार है। वक्त सेटलमेंट विवादित आराजी का पर्चा लगान गलती से अपीलांट के नाम जारी हो गया, जबकि कब्जा रेस्पोडेंट/वादीगण का ही चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण मौखिक साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 839 रकबा 108 बीघा 17 बिस्वा मौजा शिवकर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर अवस्थित भूमि पर वादीगण का कब्जा कदीम समय से चला आ रहा है, परन्तु हाल सेटलमेंट विभाग से प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर विवादित भूमि को स्वंय के नाम दर्ज करवा लिया है । अतः वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम करते हुये उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.1968 को वादीगण/रेस्पो0 का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि–''मुदई अपने को as a tenant वक्त पैमाइश व उसके पहले से साबित करने में असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप तनकी संख्या 1 बहक मुद्दायलेहिम व खिलाफ मुदइयान तय

की जाकर दावा मुदइयान खारिज किया जाता है ।'' विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/रेस्पो0 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 का वाद अपने निर्णय दिनांक 03.02.2004 से मौखिक साक्ष्य के आधार पर डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा पेश की गई है। हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में वादी द्वारा वाद विवादित आराजी पर पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जबकि प्रतिवादीगण का कथन रहा कि यह भूमि उनकी खुदकाश्त की भूमि थी और वादीगण का कब्जा हाली की हैसियत से था और उसे इस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे समक्ष निर्णय का मुख्य बिन्दु यही है कि क्या वादी विवादित भूमि पर कृषक की हैसियत से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व काबिज थे और वह इस भूमि पर खातेदार घोषित किये जाने का अधिकार रखते थे। इस सम्बंध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में वादी पदमा द्वारा प्रदर्श–पी–1 तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट दिनांक 18–5–57, प्रदर्श–पी–2 सहायक कलेक्टर बाडमेर का निर्णय दिनांक 24–6–59, प्रदर्श–पी–3 सहायक कलेक्टर बाडमेर का आदेश दिनांक 31–7–61, प्रदर्श–पी–4 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2014 पेश किये।

8– वादी रेस्पोडेंट ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान दीपसिंह पीडब्ल्यू–1, बागसिंह पीडब्ल्यू–2, बागा पीडब्ल्यू–3, मुकनाराम पीडब्ल्यू–4, ए.एच.थोमस पीडब्ल्यू–5, पदमा पीडब्ल्यू–6 कराये गये है।

9– प्रतिवादी अपीलांट ने अपने मौखिक साक्ष्य में गवाह जेठमालसिंह डीडब्ल्यू–1, सुजानसिंह डीडब्ल्यू–2, पुरखा डीडब्ल्यू–3, चौथा डीडब्ल्यू–4, डूगरा डीडब्ल्यू–5, जेहाराम डीडब्ल्यू–6, चेतन डीडब्ल्यू–7, अचला डीडब्ल्यू–8, भैराज डीडब्ल्यू–9, जुगतसिंह डीडब्ल्यू–10 और भूरसिंह डीडब्ल्यू–11 कराये गये है।

10– प्रतिवादी अपीलांट ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–63, प्रदर्श डी–2 पर्सनल प्रोपट्री की लिस्ट, प्रदर्श डी–3 नकल फैसला आर.ओ. दिनांक 25–05–57, प्रदर्श डी–4 चौसाला गिरदावरी संवत् 2013 लगायत 2016, **प्रदर्श डी–5 पर्चा लगान संलग्न है, जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी पर जालमसिंह, भूरसिंह पिसरान लक्ष्मणसिंह कौम राजपूत द्वारा लगान अदा किया जाना अंकित है। प्रदर्श डी–6 नकल जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम**

शिवकर में स्थित खसरा नंबर 839 रकबा 108 बीघा 17 बिस्वा भूमि जालमसिंह, भूरसिंह पिसरान लक्ष्मणसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श डी–7 न्यायालय एआरओ निर्णय दिनांक 13–1–57 संलग्न है। प्रदर्श डी–8 नकल दावा मुकदमा 37/56 दिनांक 14–9–56 संलग्न है। प्रदर्श डी–9 नकल जवाबदावा और प्रदर्श डी–10 नकल तनकीयात संलग्न है।

11– प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट जालमसिंह, भूरसिंह पिसरान लक्ष्मणसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श डी–6 के रूप में सलंग्न है। इसके अलावा पत्रावली के साथ प्रदर्श डी–5 पर्चा लगान में स्पष्ट रूप से खसरा सं. 839 रकबा 108 बीघा 17 बिस्वा भूमि का लगान जालमसिंह, भूरसिंह पिसरान लक्ष्मणसिंह द्वारा दिया जाना अंकित है। वादी रेस्पोडेंट द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का वाद पेश किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हक घोषणा का वाद वही व्यक्ति पेश कर सकता है जिसके द्वारा भूमि का लगान अदा किया जाता रहा हो। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर ने अपने निर्णय में दस्तावेजी साक्ष्य को महत्व नहीं देते हुये मौखिक साक्ष्य को महत्व दिया है तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। क्योंकि न्यायिक प्रकरणों में दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है और दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत ही विधि संगत निर्णय पारित किया जा सकता है। मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वादी को अपना वाद स्वयं के स्तर पर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करना होता है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर हक घोषणा का वाद डिक्री किया जाना विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नही आता है। हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावें के आधार पर चार तनकीयात कायम की थी। परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना दस्तावेजी साक्ष्यों को तरजीह नहीं देकर मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादी रेस्पोडेंट ने प्रश्नगत आराजी पर संवत् 2012 से पूर्व अर्थात संवत् 2013 से पूर्व से ही अपना कब्जाकाश्त होना बताया है जबकि नकल जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में प्रश्नगत आराजी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी रेस्पोडेंट ने अपने वाद में

कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वह प्रश्नगत आराजी पर कब काबिज हुये। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श डी–3 आर.ओ. का निर्णय व प्रदर्श डी–7 ए.आर.ओ. का निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों निर्णयों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि वादी रेस्पोडेंट ने प्रश्नगत आराजी पर अपना विधिवत् रूपसे टिनेंट काबिज होना साबित नहीं किया है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा मुखालफाना बताया है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की थी उसमें तनकी सं.1 महत्पूर्ण है, जिस पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तनकी नंबर–1 ––––– आया खसरा नंबर 839 मौजा शिवकर मुदईयान का काश्त व कब्जा कदीमी है–– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी रेस्पोडेंट का था। वादी रस्पोडेंट ने प्रश्नगत आराजी पर अपने कब्जे के सम्बंध में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उनका प्रश्नगत आराजी पर कब्जा होना साबित हो। केवल तहसीलदार की रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है। इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में केवल मौखिक साक्ष्य जिसमें गवाहों के बयान कराये गये है। इसके अलावा उनके द्वारा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट के विरूद्ध कब्जा मुखालफाना सिद्ध हो। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श डी–5 एवं प्रदर्श डी–6 से साबित है कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और प्रदर्श डी–5 से यह भी साबित है कि अपीलांट प्रतिवादी द्वारा ही प्रश्नगत आराजी का लगान अदा किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा कभी लगान अदा किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रश्नगत आराजी पर उनका कब्जा मुखालफाना साबित नहीं होता है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर मात्र कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित है कि वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

12– प्रस्तुत प्रकरण में तनकी नंबर–2 का कोई महत्व नहीं होने से उसका विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं तनकी सं. 3 आया मुद्दायलेहिम special cost पाने के मुस्तहक हैं। जिसे विचारण न्यायालय

ने इस प्रकार निर्णित किया है कि हालात मुकदमा के मध्यनजर रखते हुए मुद्दायलेहिम special cost पाने का मुस्तहक नहीं पाया जाता है। इस तनकी का भी विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करने की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। तनकी संख्या 4 दादरसी से संबंधित है। वादी रेस्पोडेंट द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से परीक्षण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर का निर्णय मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है जो तर्कसंगत एवं विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित निर्णय जिसके द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया है, में विधिक एवं तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि नहीं थी जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो किंतु राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर ने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों को तरजीह नहीं देते हुये मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद डिक्री करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है जो विधिसम्मत् व समर्थन योग्य नहीं है।

13— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03—2—04 से वादी रेस्पोडेंट की प्रथम अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यपरक तात्विक त्रुटि कारित की गई है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने एवं हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

14— परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय 3—2—04 निरस्त किया जाता है तथा परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15—10—68 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य